

24.01.17

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिवक्ता श्री आर0सी0यादव।

प्रतिवादी क्रमांक 2 एकपक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 3 अनिवारित।

प्रकरण में वादी को प्रतिवादी क्रमांक 3 की उपस्थिति हेतु तलबाना पेश किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु दिनांक 16.09.15 के बाद वादी द्वारा तलबाना दिया जाना प्रकरण अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। आज भी वादी अनुपस्थित है। अतः आदेश 17 नियम 3 व 2 सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अधीन वाद निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही /—

गोपेश गर्ग

1—सी.जे.—2, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)